रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938
No. 277] NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ ASHADHA 13, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 27 जून, 2016

सं. टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा, कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर, सैंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के लिए निर्धारित मौजूदा प्रशुल्क की वैधता, एतद्वारा, इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

(मामला सं. टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी)

केंद्रीय भंडार निगम .... आवेदक

कोरम

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2016 के 21वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) में कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर सैंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्युसी) द्वारा प्रदत्त सेवाओं से संबंधित वर्तमान दरमानों की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी से संबंधित है ।

2. सीडब्ल्युसी के वर्तमान दरमान (एसओआर), इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्युसी दिनांक 06 जनवरी, 2012 के अंतर्गत अनुमोदित किये गये थे जिन्हें भारत के राजपत्र में 01 मार्च, 2012 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2014 तक निर्धारित की गई थी। सीडब्ल्युसी के वर्तमान दरमानों की वैधता की तिथि प्राधिकरण द्वारा 04 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा पहले 30 जून 2014 तक बढ़ाई गई थी। तत्पश्चात, सीडब्ल्युसी के अनुरोध पर दो बार बढ़ाई जा चुकी है तथा पिछली बार यह वैधता 10 नवंबर, 2015 के आदेश के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 तक बढ़ाई गई थी ।

3.1. अपने 10 नवंबर, 2015 के आदेश के अंतर्गत मौजूदा दरमानों की वैधता बढ़ाते हुए अपना संशोधित प्रस्ताव पेश करने के लिए, सीडब्ल्युसी को प्राधिकरण द्वारा 31 दिसंबर, 2015 तक का समय दिया गया था। सीडब्ल्युसी ने अपना प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है।

3.2. सीडब्ल्यूसी ने अपने 18 मई, 2016 के पत्र के माध्यम से उल्लेख किया है कि केपीटी द्वारा कंटेनर टर्मिनल पर एक कंटेनर टर्मिनल प्रचालक (सीटीओ) नियुक्त किया गया है परंतु प्रचालकों द्वारा कार्य आरंभ करने में अभी 3-4 माह का समय और लगेगा अर्थात कम से कम जून 2016 तक इंपेक्स का कोई आगम/निर्गम नहीं होगा। परिणामत:, कांडला पत्तन न्यास, सीडब्ल्युसी -सीएफसी पर वास्तव में कोई कार्य व्यापार नहीं होगा । कांडला पत्तन न्यास ने आगे कहा है कि उन्होंने सीडब्ल्युसी-सीएफएस-केपीटी पर एचएंडटी ठेकेदार नियुक्त किया है, तथा प्रशुल्क में आशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है तथा निगम कार्यालय के अनुमोदन के पश्चात प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, सीडब्ल्युसी ने, आगामी 6 माह के लिए 30 सितंबर,2016 तक मौजूदा प्रभार दरें लागू रखने तथा 30 जून, 2016 तक अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए समय प्रदान करने का,प्राधिकरण से अनुरोध किया है ।

4.1. सीडब्ल्युसी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुरुप 10 नवंबर, 2015 के आदेश के अंतर्गत दरमानों की वैधता को बढ़ाने से, केपीटी पर प्रचलित इंपेक्स कंटेनर आगम निर्गम से संबंधित स्थिति पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीडब्ल्युसी के 18 मई, 2016 के पत्र में उल्लेखित, केपीटी पर प्रचलित असाधारण स्थिति के मद्देनज़र यह प्राधिकरण सीडब्ल्युसी के मौजूदा दरमानों की वैधता की तिथि इनकी समाप्ति की तिथि से 30 सितंबर, 2016 तक या आशोधित दरमानों का कार्यान्वयन प्रभावी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ायी जाती है।

4.2. सीडब्यल्युसी के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में दरमानों से संबंधित अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए यह प्राधिकरण, सीडब्ल्युसी को 31 जुलाई, 2016 तक का समय भी प्रदान करता है ।

5. यदि, इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा के दौरान, 01 अप्रैल 2014 के पश्चात की अवधि में, स्वीकार्य लागत और अनुज्ञेय प्रत्यागम से ऊपर कोई अतिरिक्त अधिशेष निकलता है तो ऐसा अतिरिक्त-अधिशेष, निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरुपेण समंजित किया जाएगा ।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/16 (159)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th June, 2016

No. TAMP/35/2010-CWC.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for the Central Warehousing Corporation at the Container Freight Station in the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/35/2010-CWC

The Central Warehousing Corporation - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 21st day of June 2016)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Central Warehousing Corporation (CWC) at the Container Freight Station in the Kandla Port Trust (KPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of CWC was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/35/2010-CWC dated 06 January, 2012 which was notified in the Gazette of India on 01 March, 2012. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March, 2014. This Authority has extended the validity of the existing SOR of the CWC initially till 30 June, 2014 vide Order dated 4 April 2014. Subsequently this Authority based on the request made by the CWC had extended the validity of SOR of CWC on couple of occasions and the last extension being till 31 March, 2016 vide Order dated 10 November, 2015.

3.1. While extending the validity of its existing SOR vide Order dated 10 November, 2015, this Authority had granted time till 31 December, 2015 to the CWC to file its proposal for revision of its SOR. The CWC has not filed the proposal for revision of its SOR so far.

3.2. However, the CWC, vide its letter dated 18 May, 2016 has stated that the KPT has appointed Container Terminal Operator (CTO) at Container Terminal but commencement of operations will take some further 3 – 4 months i.e. there will be no IMPEX traffic till atleast June, 2016 resulting virtually nil business at CWC-CFS Kandla Port. The CWC has further stated that they have appointed H & T contractor at CWC-CFS-KPT and proposal for tariff revision is being finalized and after obtaining approval from their corporate Office, the same will be submitted to this Authority. In view of this position, the CWC has requested this Authority to allow it to continue to charge at the existing rates for a further period of 6 months i.e., upto 30 September, 2016 and has also requested to grant time upto 30 June, 2016 to file its proposal.

4.1. From the submissions made by the CWC, there does not appear to be any change in the position relating to IMPEX container traffic then prevailing at the KPT while extending the Scale of Rates of CWC vide Order dated 10 November, 2015 and now. In view of the extraordinary situation prevailing at the KPT, as brought out by the CWC in its letter dated 18 May, 2016, this Authority extends the validity of the existing SOR of the CWC from the date of its expiry till 30 September, 2016 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

4.2. In view of the submission made by the CWC and recognizing that by the time the Order is notified it will be around end of June 2016, this Authority also grants time till 31 July, 2016 to CWC to file its proposal for revision of its SOR.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./143/16 (159)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.